मुख्यमंत्री का छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थियों के हित में बड़ा फैसला

चर्चा में क्यों?

- 3 अक्तूबर, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए आयोग की परीक्षाओं के दस्तावेज़ के विनिष्टीकरण की व्यवस्था में बदलाव लाने के निर्देश दिये हैं।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में राज्य शासन द्वारा लोक सेवा आयोग को आयोग की परीक्षाओं की आंसर सीट एवं दस्तावेज़ों के विनिष्टीकरण की अवधि को दो साल किये जाने का प्रस्ताव भेजा गया है।
- गौरतलब है कि पीएससी परीक्षाओं की आंसर सीट एवं दस्तावेज़ के विनिष्ट किये जाने के कायदे-कानून छत्तीसगढ़ राज्य में लंबे समय से चले आ रहे हैं। इसमें बदलाव लाने के लिये मुख्यमंत्री ने आवश्यक निर्देश दिये हैं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/chief-minister-big-decision-in-the-interest-of-candidates-of-chhattisgarh-public-service-commission